"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2006—पौष 8, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राधेलाल पिता श्री ओंकार लाल चन्द्राकर, निवासी रूवांबांधा, सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ का हूं जो कि अपने नाम को परिवर्तित कर राधेलाल चन्द्राकर रख लिया हूं तथा जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मुझे राधेलाल चन्द्राकर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राधेलाल पिता-श्री ओंकार लाल चन्द्राकर पता-रूवांबांधा सेक्टर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	राधेलाल चन्द्राकर पिता-श्री ओंकार लाल चन्द्राकर पता-रूवांबांधा सेक्टर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2006

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 17/त.शा./का. अ./लो. स्वा./06-07.—मुहरबंद एकमुश्त समूहवार निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित नल-जल योजनाओं के तहत पाईप लाइन बिछाने के कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है

निविदाएं उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	22-12-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कीर्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	23-12-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	26-12-2006 (अपरान्ह 3.00 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	26-12-2006 (अपरान्ह 3.30 बजे से)

क्रमांक -1 कार्य का विवरण

बिलासपुर जिले में निम्नलिखित नल-जल योजनाओं के तहत विभिन्न आकार के सी. आई. टाइटन पाइप क्लास एल. ए./यू. पी. व्ही. सी. पाईप क्लास 6 Kg बिछाने एवं जोड़ने का कार्य. कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सहित स्थल पर प्रदाय एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य वाल्व चैम्बर, स्टैण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग का एकमुश्त कार्य (सभी सामग्री सहित) संलग्न G Schedule के अनुसार एवं टंकी निर्माण स्थल में बाऊंड्री वाल का निर्माण/प्रस्तावित पंप गृहों का निर्माण. (संलग्न G Schedule के अनुसार).

क्र.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम-मानिकचौरी विकासखंड-मस्तुरी (प्रथम आमंत्रण)	10.75	7875/-	750/-	3 माह	A-2/S-2 श्रेणी एवं ऊपर
2.	ग्राम- भर्रीडांड विकासखंड- मरवाही (प्रथम आमंत्रण)	10.80	8100/-	750/-	3 माह	A-2/S-2 श्रेणी एवं ऊपर
3.	ग्राम-कोडापुरी विकासखंड- तखतपुर (प्रथम आमंत्रण).	5.80	4350/-	750/-	2 माह	A-1/S-1 श्रेणी एवं ऊपर

क्रमांक -2 कार्य का विवरण

विलासपुर जिले में निम्नलिखित स्पाट सोर्स योजना के तहत विभिन्न आकार के जी. आई. पाईप हैवी क्लास/यू. पी. व्ही. सी. पाइप Class 6 Kg बिछाने एवं जोड़ने का कार्य. कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सहित स्थल पर प्रदाय एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य वाल्व चैम्बर, स्टैण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग का एकमुश्त कार्य (सभी सामग्री सहित) संलग्न G Schedule के अनुसार प्रस्तावित पंप गृहों का निर्माण (संलग्न G Schedule के अनुसार)..

क्र.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम खैरासेतगंगा, विकासखंड-मुंगेली (प्रथम आमंत्रण)	5.13	3900/-	750/-	3 माह	A-1/S-1 श्रेणी एवं ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 50/- (पचास रु. मात्र) डाक शुल्क देना होगा. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र खो जाने अथवा समय पर प्राप्त न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी. निविदा सूचना छ. ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E-MAIL के माध्यम से Pramarao @ c.g. nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

विलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2006

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 18/त.शा./का. यं./लो. स्वा./2006-2007.—मुहरबंद एकल समूहवार एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "एफ" में नीचे उल्लेखित नल-जल प्रदाय योजनाओं के तहत टर्न की जाब के आधार पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में दिनांक 30-12-2006 को अपरान्ह 3.00 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, (छ. ग.) के निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा के तकनीकी प्रस्ताव निम्न तिथि अर्थात् दिनांक 30-12-2006 अपरान्ह 3.30 बजे निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि तथा स्थान की सूचना तकनीकी प्रस्ताव खोलने के बाद दी जावेगी.

कार्य का नाम

निम्नलिखित ग्रामीण नलजल योजनाओं के अन्तर्गत आर. सी. सी. उच्च स्तरीय जलागार का डिजाईन, निर्माण, परीक्षण व स्थापित करना (सभी पाईप स्पेशल्स फिटिंग आदि के प्रदाय तथा स्थापना सहित)

सु. क्र.	कार्य स्थल का विवरण	ठेके की संभावित राशि रु. लाखों में	धरोहर की राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम भर्रीडांड विकासखंड, मरवाही, टंकी की क्षमता 80 के. एल. ऊंचाई 15 मीटर. (प्रथम आमंत्रण)	7.00	5250/-	750/-	4 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर
2.	ग्राम मानिकचौरी वि. खंड, मस्तुरी, टंकी की क्षमता 100 के. एल. ऊंचाई 15 मीटर. (द्वितीय आमंत्रण)	9.75	7400/-	750/-	4 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर
3.	ग्राम भरनी वि. खंड, तखतपुर, टंकी की क्षमता 100 के. एल. ऊंचाई 12 मीटर. (तृतीय आमंत्रण)	8.00	6000/-	750/-	4 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर

शर्तें

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27-12-2006 तक (कार्यालयीन अवधि) में प्राप्त किये जावेंगे. कोरे निविदा प्रपत्र एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में दिनांक 29-12-2006 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगवाने पर रुपये 50/- अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु डाक से विलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा. निविदा की अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है. पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त तीनों ग्रामों का स्थल निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति सुनिश्चित कर लेवें. निविदा सूचना छ. ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/ Tender में उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार उक्त विज्ञप्ति e-mail के माध्यम से Pramarao @ e.g. nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वन मण्डलाधिकारी, वनमंडल, मनेन्द्रगढ़ (छ. ग.)

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

आ. क्र./मा. चि./2006/270/3933.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शित कुवांरपुर परिक्षेत्र के पतवाही बीट का बीट हैमर श्री कमलेश दुबे, वनरक्षक, पतवाही द्वारा दिनांक 04-07-2006 को बीट भ्रमण के दौरान कहीं गिर गया है, जो आज दिनांक तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना जनकपुर जिला-कोरिया को दी जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा बीट हैमर को वनमण्डल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हैमर की कीमत रुपये 750/- (रुपये सात सौ पचास) मात्र श्री कमलेश दुबे से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं, साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी/लापरवाही बरतने के कारण श्री कमलेश दुबे को गंभीर चेतावनी दी जाती है.

एस. एन. शर्मा,
वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपजां/परिसमापन/2006/976.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./773 दिनांक 10-05-82 के द्वारा साम. कृषि सह. समि. मर्या. पंडरिया जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 31 है. को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जांजगीर म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. 1/5/6/79/एफ-15, दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्या. मुद्रा से जारी किया गया है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंजां/परिसमापन/2006/977.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1743 दिनांक 09-08-74 के द्वारा तेलघानी उद्योग सह. समि. नरियरा जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 2405 है. को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जांजगीर म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. 1/5/6/79/एफ-15, दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्या. मुद्रा से जारी किया गया है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंजां/परिसमापन/2006/978.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2213 दिनांक 09-05-67 के द्वारा साबुन उद्योग सह. समिति मर्या. झुलनपकरिया जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 2626 है. को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जांजगीर म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. 1/5/6/79/एफ-15, दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्या. मुद्रा से जारी किया गया है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंजां/परिसमापन/2006/979.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1312 दिनांक 17-05-95 के द्वारा हरि. एवं आदि. मछुआ सह. समि. चंगोरी जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 93 है. को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सजन सुमार अग्रवाल सहकारिता विस्तार अधि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जांजगीर म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. 1/5/6/79/एफ-15, दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्या. मुद्रा से जारी किया गया है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत].

क्रमांक/उपंजां/परिसमापन/2006/980.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./880 दिनांक 24-06-93 के द्वारा मत्योद्योग सह. समि. मर्या. अकलतरा जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 57 है. को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुंजूर, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जांजगीर म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. 1/5/6/79/एफ-15, दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्या. मुद्रा से जारी किया गया है.

एन. कुजूर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1637.—पंजीयन क्रमांक 182 दिनांक 17-12-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 21-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर महिला बहुउद्देशीय स. स. पेंड़ारी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1638.—पंजीयन क्रमांक 180 दिनांक 24-11-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1419 दिनांक 21-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया.. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर महिला बहुउद्देशीय स. स. नवागांव को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1641.—पंजीयन क्रमांक 187 दिनांक 18-1-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1537 दिनांक 8-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर सर्वोत्तम बहुउद्देशीय स. स. जोकी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1642.—पंजीयन क्रमांक 3350 दिनांक 14-12-88 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1363 दिनांक 9-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदर्श गिट्टी खदान स. स. बुधवारा को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1643.—पंजीयन क्रमांक 3491 दिनांक 10-12-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1361 दिनांक 9-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर चिमनी ईंट भट्टा स. स. अरईबंद को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1644.—पंजीयन क्रमांक 186 दिनांक 30-12-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 8-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदर्श महिला बहुउद्देशीय स. स. भरनी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1645.—पंजीयन क्रमांक 3412 दिनांक 22-10-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1485 दिनांक 2-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर प्राथ. श्रम ठेका स. स. खैरवार को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1646.—पंजीयन क्रमांक 3879 दिनांक 3-11-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1255 दिनांक 10-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर पत्थर गिट्टी खदान स. स. मर्या. बांकीघाट को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1647.—पंजीयन क्रमांक 3448 दिनांक 2-12-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1343 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर उत्तम ईंट भट्टा स. स. सकरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2006/1649.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ / बिलासपुर, दिनांक .... के तहत् मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित मस्तूरी पंजीयन क्रमांक 2962 दिनांक 23-5-57 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-12-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2006/1650.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ / बिलासपुर, दिनांक .... के तहत् कुम्भकार उद्योग सहकारी समिति मर्यादित मस्तूरी पंजीयन क्रमांक 2762 दिनांक 28-6-57 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम [illegible]60 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-12-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2006/1651.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ / बिलासपुर, दिनांक .... के तहत् श्री राम सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित मल्हार पंजीयन क्रमांक 3014 दिनांक 21-4-73 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-12-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2006/1652.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ / बिलासपुर, दिनांक .... के तहत् सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित मस्तूरी पंजीयन क्रमांक 2937 दिनांक 29-3-71 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-12-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2006/1653.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ / बिलासपुर, दिनांक .... के तहत् सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित नवापारा पंजीयन क्रमांक 3002 दिनांक 23-3-73 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-12-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2006/1654.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ / बिलासपुर, दिनांक .... के तहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित खोन्द्रा पंजीयन क्रमांक 1904 दिनांक 31-3-67 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-12-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2006/1655.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/ / बिलासपुर, दिनांक .... के तहत् सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित टिल्हाडीह पंजीयन क्रमांक 2940 दिनांक 3-5-71 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-12-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 13 दिसंम्बर 2006

संशोधिक आदेश

क्रमांक/उपकां./परिसमापन/2006/1156.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ.-7/3/सह./15/2436, रायपुर दिनांक 13-6-2001 द्वारा मुझमें वैष्ठित है की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, लीलाम्बर सोम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री आर. एस. ठाकुर विकासखंड-नरहरपुर के स्थान पर श्री ए. आर. नेताम, सहकारी निरीक्षक (अतिरिक्त प्रभार, सविअ.-नरहरपुर) को निम्न तालिका में दर्शित सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा पूर्व प्रसारित परिसमापन नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाते हैं :-

क्र. (1)	समिति का नाम (2)		पंजीयन क्र./दिनांक (3)
1.	बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या.	मांडाभर्री	423/24-3-1985
2.	----,,----	धनेसरा	526/29-3-1967
3.	बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या.	बुंदेली	19/11-2-69
4.	----,,----	सरोना	536/30-3-1967
5.	वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या.	नरहरपुर	430/27-3-65
6.	----,,----	सारवंडी	424/24-3-65
7.	वृक्ष सहकारी समिति मर्या.	नरहरपुर	289/25-11-91
8.	----,,----	शामतरा	290/25-11-91
9.	----,,----	बादल	291/25-11-91
10.	----,,----	मग़लगांव	292/25-11-91
11.	----,,----	सरोना	294/25-11-91
12.	----,,----	अमोड़ा	295/25-11-91
13.	----,,----	भीमाडीह	296/25-11-91
14.	----,,----	गट्टागुडुम	293/25-11-91
15.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या.	नरहरपुर	44/27-3-87
16.	----,,----	सरोना	46/24-3-87
17.	----,,----	डावरखार	260/15-7-91
18.	----,,----	दुधावा	354/31-3-95
19.	----,,----	मावलीपारा	355/31-3-95
20.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या.	देवडोंगर	418/28-2-97
21.	----,,----	मुरपार	39/26-3-87

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से आज दिनांक 13-12-06 को जारी किया गया.

लीलाम्बर सोम,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2006

क्रमांक/परि./06/क्यू.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
1.	जिला औद्योगिक एवं खदान श्रमिक अनुबंध सह. समिति मर्या. 27 खोली बिलासपुर.	3180	महेन्द्र बन्दे (सहकारी निरीक्षक)	कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)
2.	महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर	3523	--,,--	--,,--
3.	बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक इम्प्लाईज थ्रिप्ट सह. समिति मर्या. बिलासपुर.	3392	--,,--	--,,--
4.	दी गवर्नमेंट इम्पलाई थ्रिप्ट सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर	2132	--,,--	--,,--
5.	नेहरू श्रम नियोजन सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर	3559	--,,--	--,,--

महेन्द्र बन्दे,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.